

प्रेषक,

आलोक रजन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

अ. वि. 0 अ. वि. 0 अ. वि. 0  
अ. वि. 0 अ. वि. 0 अ. वि. 0  
अ. वि. 0 अ. वि. 0 अ. वि. 0  
अ. वि. 0 अ. वि. 0 अ. वि. 0

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ ।
- 4- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।

21/01/08

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर 2008

विषय- "मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना" में आंशिक सशोधन ।

संदर्भ

संबन्धित विषयक शासनादेश संख्या-5376/नौ-5-2008-153सा/2008 दिनांक-24 जुलाई, 2008 का कृपया सम्बन्धित ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-2 (1) में प्रत्येक आवासीय इकाई का कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लिन्थ एरिया) 35 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था । शासन स्तर पर सम्बन्धित विचारोपसन्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक आवासीय इकाई का कुर्सी क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर रखा जाय । कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

3- शासनादेश संख्या-5376/नौ-5-2008-153सा/2008, दिनांक-24 जुलाई, 2008 को इस सीमा तक सशोधित समझा जाय ।

भवदीय,  
A. R.  
( आलोक रजन )  
प्रमुख सचिव ।

श्री अ. वि. 0  
11/11/08

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विव आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, र ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन, न्याय, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
- 5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 6- समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 8- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ।
- 9- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ ।
- 10- विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर) ।
- 11- समस्त संयुक्त / उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 13- समस्त परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विक अभिकरण, उ०प्र० ।
- 14- समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / न पंचायत (द्वाश जिलाधिकारी) ।
- 15- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 16- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
- 17- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

( रवि प्रकाश अरोडा )  
विशेष सचिव ।